# अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

**रामदयाल बनाम मंदिर श्री दादूदयाल वगैरह**
**किस्म मुकदमा– 229 राज.काश्तकारी अधिनियम**
**प्रकरण संख्या: 166/2023 (दूदू)**

13/6/23

| | | |
|---|---|---|
| | श्रीअजीतसिंह राठौड एडवोकेट | |
| 26.05.2023 | रामदयाल बनाम मंदिर श्री दादूदयाल(2023/166)<br>यह नजरसानी प्रार्थना पत्र श्री अजीतसिंह राठौड एडवोकेट ने हाजा न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 546/2018 आदेश दिनांक 30.07.2012 के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 229 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया गया। प्रार्थना पत्र बाद जांच रिपोर्ट होकर पेश किया गया। प्रार्थना–पत्र मियाद बाहर पेश किया गया, जिसके समर्थन में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम संलग्न है। प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। अभिभाषक प्रार्थी को प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम एवं प्रार्थना पत्र नजरसानी पर सुना गया। पत्रावली वास्ते आदेशार्थ रिजर्व रखी जाती है।<br>राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर | |
| 13.06.2023 | पत्रावली वास्ते आदेशार्थ पेश की गई। अभिभाषक प्रार्थी उपस्थित। अभिभाषक प्रार्थी को दिनांक 26.05.2023 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम एवं नजरसानी पर सुना गया।<br>सर्वप्रथम हम प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण करना उचित समझते है।<br>अभिभाषक प्रार्थी ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम बाबत कथन किया कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष 11 वर्षो में कई मर्तबा अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र पर बहस हेतु निवेदन किया गया परन्तु कोई सुनवाई नही हुई तथा माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.07.2012 जिसमें दो माह में निर्णय पारित करने हेतु निर्देशों के साथ प्रकरण प्रति प्रेषित किया गया की पालना विगत 11 वर्षों में नहीं हुई। माननीय न्यायालय द्वारा न तो तहत न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया ना ही प्रार्थी को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया अर्थात नोटिस भी जारी नही किये गये जो आदेश 5 जा0दी0 के आज्ञापक प्रावधानों के विपरित होकर माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय प्रथम दृष्टया शून्य निर्णय की परिभाषा में आता है जिस पर मियाद कानून के प्रावधान लागू नही होते है। अभिभाषक प्रार्थी ने अपनी बहस में निरतंर आगे कथन किया कि कानूनी सलाह के अनुसार प्रार्थी को माननीय न्यायालय के समक्ष नजरसानी याचिका प्रस्तुती की सलाह दिनांक 11.05.2023 को प्रदान की गई जिससे उसी दिनांक नकल हेतु प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया एवं नकल प्राप्त की गई तत्पश्चात आवश्यक खर्चे का बन्दोबस्त कर दिनांक 24.05.2023 को अजमेर आकर अभिभाषक से सम्पर्क किया गया जिन्होने दिनांक 25.05.2023 को नजरसानी याचिका तैयार करवाई एवं आज काननी सलाह से जानकारी से अन्दर मियाद नजरसानी याचिका सेवा में प्रस्तुत की जा रही है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर उपरोक्त कारणा सें नजरसानी याचिका अन्दर मियाद शुमार फरमाने का आदेश प्रदान कर अनुग्रहित करें।<br>अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र की गई बहस पर मनन किया गया एवं प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। बाद अवलोकन प्रार्थी के द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित विलम्ब के कारण संतोषजनक एवं सदभाविक होने के कारण न्यायहित में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना किया जाना उचित समझते है। अतः प्रार्थना पत्र | राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर |

CamScanner

अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को स्वीकार किया जाता है तथा प्रार्थनापत्र नजरसानी अन्दर मियाद शुमार की जाती हैं ।

तत्पश्चात अभिभाषक प्रार्थी द्वारा दौराने बहस प्रार्थना पत्र नरजसानी बाबत कथन किया कि वादी/ अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा एक नियमित राजस्व वाद वास्ते घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का विरूद्ध प्रतिवादीगण/अपीलांट एवं शेष रेस्पोडेन्टस के द्वारा उपखण्ड अधिकारी, दूदू के न्यायालय में इस कथन का पेश किया गया कि वादग्रस्त आराजी प्रन्यास की भूमि है तथा प्रन्यास एक पंजीकृत प्रन्यास है तथा विवादित आराजी ग्राम सांवरदा तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर में स्थित है जिसके हाल खसरा आराजी नम्बर 654, 658 लगायत 665, 3287 लगायत 3290, 3292 लगायत 3303 है जिसका कुल किता 25 कुल रकबा 42 बीघा 19 बिस्वा (10.86 हैक्टर) है वादी/अप्रार्थी द्वारा उक्त वाद के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्त अधिनियम का प्रस्तुत किया गया तथा उक्त प्रार्थना पत्र में वादी/अप्रार्थी द्वारा प्रतिवादी/अपीलांट एवं शेष रेस्पोडेन्टस को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द करने का निवेदन किया। उभयपक्षकारान की प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पर बहस सुनकर उपखण्ड अधिकारी, दूदू के द्वारा आगामी आदेशों तक विवादित आराजीयात को रहन, बय मुंतकिल नहीं करने एवं विरासतन नामान्तरकण को छोडकर राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखनें के आदेश दिनांक 16.07.2012 को प्रदान कर दिये। जिसके विरूद्ध अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की जिसे माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 30.07.2012 को रिकार्ड तलब किये बिना उक्त अपील में रेस्पोडेन्टस को नोटिस जारी किये दिनांक 30.07.2012 को रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखने के साथ रहन, बय, मुंतकिल करने से पावन्द करते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित फरमाने का आदेश पारित कर दिया एवं दो माह में निर्णय पारित करने हेतु निर्देश प्रदान किये गए। जिससे असंतुष्ट होकर यह नजरसानी प्रार्थना पत्र पेश किया गया। अभिभाषक प्रार्थी ने बहस में आगे कथन किया कि माननीय न्यायालय द्वारा धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत अपील में तहत न्यायायल का रिकार्ड तलब नही फरमाया गया एवं ना ही उक्त अपील संख्या 546/2012 मे मुर्तिब रेस्पोडेन्टस को नोटिस जारी किये वरन एडमिशन स्टेज पर ही माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के क्षेत्राधिकार का अतिलंघन कारित कर अपील स्वीकार कर प्रतिप्रेषित फरमाने का आदेश अन्तर्गत अपील पारित कर दिया जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरित होकर प्रथम दृष्टया शून्य होने से काबिल निरस्त किये जाने योग्य है। प्रार्थी वादग्रस्त आरजीयात के 1/4 हिस्से का रिकार्डेड खातेदारान से जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र बोनाफाईट क्रेता होकर काबिज काश्त चला आ रहा है जिसे साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना आदेश अन्तर्गत नजरसानी पारित किया गया है। मान्नीय न्यायालय द्वारा दिनांक 30.07.2012 को पारित आदेश में मात्र दो माह में अस्थायी निषेधाज्ञा क प्रार्थना पत्र पर निर्णय पारित करने हेतु निर्देशो के साथ प्रकरण प्रतिप्रेषित किया गया था एवं व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अनुसार अस्थायी निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र को मात्र 06 माह में निर्णित करना होता है लेकिन बाद प्रति प्रेषण 11 वर्ष 6 माह में निर्णित करना होता है लेकिन बाद प्रति प्रेषण 11 वर्ष का समय व्यतीत हो चुका है लेकिन आज दिनांक तक कोई निर्णय पारित नहीं किया गया है। व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आज्ञापक प्रावधानो की घोर अवहेलना की जा रही है तीी मान्नीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश साक्ष्य एवं सुनवाई बाबत् नो वन केन बी कन्डेम्ड अनहर्ड जैसे प्राकृतिक एवं आज्ञापक प्रावधानो के विपरीत एवं साक्ष्य व

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

# अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

**रामदयाल बनाम मंदिर श्री दादूदयाल वगैरह**
**किस्म मुकदमा– 229 राज.काश्तकारी अधिनियम**
**प्रकरण संख्याः 166/2023 (दूदू)**

सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं करने तथा तहत न्यायालय का रिकार्ड तलब नहीं फरमाने के कारण व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आज्ञापक प्रावधान के विपरीत है जो मान्नीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में प्रथम दृष्टगोचर होने वाली गंभीर विधिक त्रुटि होकर मान्नीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.07.2012 काबिज निरस्त योग्य है। मान्नीय न्यायालय के समक्ष उक्त नजरसानी याचिका प्रस्तुती के अतिरिक्त प्रार्थी के पास न्याय प्राप्ति हेतु अन्य कोई विकल्प मौजूद नहीं है जिससे उक्त नजरसानी याचिका स्वीकार फरमाई जाकर मान्नीय न्यायलय द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.07.2012 काबिज निरस्त योग्य है।

अभिभाषक अपीलांट के द्वारा प्रार्थना पत्र पर की गई बहस पर मनन किया गया एवं प्रार्थना पत्र व सलंग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन प्रार्थी ने अपने नजरसानी प्रार्थना पत्र के साथ अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण की स्थिति के बारे मे बताया गया है कि प्रकरण वहॉ 11 वर्ष से विचाराधीन है किन्तु उनके द्वारा प्रकरण का निस्तारण नहीं किया जाकर प्रकरण लंबित किया हुआ है किन्तु अभिभाषक प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना–पत्र में यह कहीं पर भी यह अंकित नहीं किया है वो अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए या नहीं हुए तथा उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष किसी प्रकार की चाराजोही गई या नहीं की गई तथा ना ही ऐसा कोई दस्तावेज जिससे यह प्रतीत हो कि प्रार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष 11 वर्षो तक अपने द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम के निस्तारण हेतु पूर्ण रूप से तत्पर था। प्रार्थी को न्यायालय हाजा के आदेश दिनांक 16.07.2012 से आपत्ति तो उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आदेश 39 नियम 4 सी.पी.सी. के तहत् कार्यवाही करनी चाहिए थी जो उनके द्वारा नहीं की गई है। न्यायालय हाजा द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.07.2012 पूर्णतया पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन कर न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग कर वाद की बाहुल्यता को रोकने के उद्देश्य से राजस्व रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनायी रखी जाने तथा रहन, बय व मुन्तकिल नहीं करने के जाने के आदेश पारित किये है जिससे वादग्रस्त आराजी को सरंक्षित किया गया है। न्यायालय द्वारा पारित आदेश से किसी भी प्रकार को प्रथम दृष्टया कोई क्षति कारित नहीं होती हैं। उपरोक्त विवेचन के क्रम प्रस्तुत नजरसानी अन्तर्गत धारा 229 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है।

**अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नजरसानी अन्तर्गत धारा 229 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम खारिज किया जाता हैं। प्रार्थना पत्र फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो।**

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर